


28/3/24

पञ्जावली पेश दुई वकील प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शर्जीनामा (सहमतिपत्र) स्वरुम पत्र पेश हुआ। फोरोगाफ भी पेश किये गये जिसे शाह पठ किया गया। शर्जीनामा सहमति पत्र में प्रार्थिया ऐव विपक्षीगण मय अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रार्थिया फाटकर 13 फीट चौड़ी फाटक लगायेंगे जिसका उपयोग प्रार्थिया फेमडेकी, गोपीलाल व मांगीलाल इस रास्ते का उपयोग करेंगे। तथा विपक्षीगण प्रार्थिया की फसल व जमीन को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे व विपक्षीगण बालु व बालु के वरिस भविष्य में फाटक बंद नहीं करेंगे। फाटक का रक्चा प्रार्थीगण वहन करेंगे। शर्जीनामानुसार प्रार्थिया ने फाटक व ताला उक्त रास्ते पर माँके पर लगा दिये तथा माँके पर विपक्षी ने रास्ता खुलासा कर दिया और प्रार्थिया इसी रास्ते से क्षपनी अंरानी में डा जा रही हैं। अब कोई विवाद नहीं है। शर्जीनामा

प्रेमदेवी  
दि.  
J.V.  
Rao



उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर इनिशियल्स जगह
	<p>             व फोटोग्राफ को शां पठ किया गया। अतः पञ्जावली              इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाई जाये।           </p> <p>             मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपसी शर्जनामा व              फोटोग्राफ का अध्ययन किया। न्यायहित में आपसी              शर्जनामा स्वीकार किया जाता है। पञ्जावली इसी              स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। पञ्जावली फैसल              शुमार होकर नम्बर से कम है।           </p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              माण्डल           </p>